(विश्वनाथ देव - बनाम - गोविंद महतो) 20/6/24 3/8/21

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चन्द्रपुरा (बोकारो)

For order

आदेश-पत्रक

वादी विश्वनाथ देव एवं अन्य

बनाम

प्रतिवादी गोविन्द महतो पिता - स्व० पटन महतो, ग्राम - टटारी टोला (याटबीह)

जन आवेदन संख्या 01/21-22

तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
07.6.21.	आवेदक श्री / श्रीमति विश्वनाथ देव एवं अन्य पिता / पति का नाम राजकिशोर नाथ देव. पता - चन्दनाबाद ग्राम चन्दनाबाद पो० दुग्दा थाना दुग्दा जिला–बोकारो की और से आवेदन दिया गया है कि जो खतियानी जमीन पर जबरन निर्माण कर कब्जा कर लिया जा रहा है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक / अंचल निरीक्षक, चन्द्रपुरा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करें। (हस्ताक्षर) 07/6 अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा (बोकारो)	
8/6/21	राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। विपक्षी को सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक - 22/6/2021 को रखें। (हस्ताक्षर) 08/6 अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा	

कार्यालय, अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा (बोकारो)

आदेश–पत्रक

तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अभिलेख उपस्थापित।

प्रथम पक्ष विश्वनाथ देव एवं अन्य सा0–चन्दनाबाद के द्वारा अपने दावे के रूप में खतियान के अनुसार बकास्त खाते की है। जिसमें वर्णित भूमि के खाता सं0–30, प्लॉट सं0–343, रकवा–0.19 एवं प्लॉट सं0–350, रकवा–0.32 कुल रकवा–0.51 एकड़ है। उक्त भूमि का इनलोगों के नाम लगान रसीद निर्गत नहीं है। तथा द्वितीय पक्ष श्री गोबिन्द महतो, पिता–स्व0 परण महतो, सा0–रटारी के द्वारा अपना दावे के रूप में भूतपूर्व जमीन्दार से सादा हुकुमनामा बन्दोबस्ती दिखाते है। जो मौजा रटारी, थाना सं0–110, खाता सं0–30, प्लॉट सं0–343, रकवा–0.19 ए0 एवं प्लॉट सं0–350 रकवा–0.32 ए0 कुल रकवा–0.51 ए0 भूमि प्राप्त दिखाते है। जिसका सरकारी लगान रसीद इनके नाम से निर्गत नहीं होता है। और न ही जमाबंदी कायम है।

उक्त भूमि के अन्तर्गत लगभग रकवा 0.19 ए0 में चहारदिवारी है। के अन्दर 0.05 ए0 लगभग रकवा में उनकी भांजी रूकमणी देवी पति–नीलकंठ महतो सा0–चन्द्रपुरा के द्वारा मकान बनाकर रह रही है।

उक्त वाद में श्री अनिल महथा, पिता–स्व0 वृन्दावन महथा, सा0–रटारी के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए यह कहा गया कि ग्राम रटारी, थाना सं0–110 के खाता सं0–30, प्लॉट सं0–343 एवं 350, रकवा–0.19, 0.32 ए0 कुल रकवा–0.51 ए0 भूमि भूतपूर्व जमीन्दार से हुकुमनामा द्वारा दिनांक–04.04.1930 ई0 परदादा दरबारी महथा, पिता–सेवा महथा को बन्दो बस्ती से हासिल है। जिसका ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ सं0–32/5 में जमाबंदी दर्ज है। एवं लगान रसीद वर्ष 2016–17 तक निर्गत है। अनिल महथा के द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि अंतर्गत प्लॉट सं0–343 में रकवा–0.19 ए0 के मध्ये लगभग 0.05 ए0 भूमि पर सहमति से मकान बनाया गया है।

उपरोक्त तीनों के द्वारा किये गये दावो पर अवलोकन किया गया उपरोक्त तीनो पक्षों में तृतीय पक्ष श्री अनिल महथा, पिता–वृन्दावन महथा में तृतीय पक्ष श्री वृन्दावन महथा सा0–रटारी के परदादा दरबारी महथा पिता सेवा महथा के नाम जमाबंदी एवं निर्गत लगान रसीद के आधार पर दावे में बल मिलता है। एवं आधार सही प्रतीत होता है।

तदनुसार उक्त के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

24/10/24

अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा।

24/10/24

अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा।

Digitally signed by Naresh Kumar Verma
Date: 2024.12.16 12:52:45 +05:30
Location: 192.168.1.33